न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 38 / 2023

प्रार्थी :-

1. दोलाराम पुत्र रूपाराम कौम भील 2.मदनलाल पुत्र रामाराम जाति भील 3.बीजाराम पुत्र वालाराम जाति भील निवासीयान उचियाडा बनाड हाल निवासी 405 आशापूर्णा नेनोमेन्स जोधपुर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. पनाराम पुत्र बस्तीराम जाति नाई निवासी सांभरा
2. गैरो देवी पत्नी पनाराम जाति नाई निवासी सांभरा
3. अमुदेवी पत्नी सुखाराम जाट मण्डापुरा
4. बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर अनिकेत मेहता पुत्र श्री महावीर जाति जैन निवासी पीरदान का बास जिला बालोतरा ,
5. सानिया लेड डेवलपर्स जरिये डायरेक्टर मंजु पत्नी महावीर जैन निवासी पीरदान का बास जिला बालोतरा ,
6. सिल्वर लाईन बिल्डहोम जरिये डायरेक्टर अनिकेत मेहता पुत्र श्री महावीर जाति जैन, निवासी पीरदान का बास जिला,
7. सोलीटेयर रेजीडेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर किंजल पुत्री श्री महावीर जाति जैन निवासी पीरदान का बास जिला बालोतरा ,
8. डुगरराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी सांभरा
9. गंगाराम पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये पिता भंवरलाल जाति जाट निवासी सांभरा , तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
10. भंवरलाल पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी सांभरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
11. श्रवण पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये पिता भंवरलाल जाति जाट निवासी सांभरा , तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
12. अमरदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी खारापार तहसील गिडा जिला बाडमेर,
13. आसुदान पुत्र वगतदान जाति चारण निवासी खारापार तहसील गिडा जिला बाडमेर,
14. प्यारो पत्नी वगतदान जाति चारण निवासी खारापार तहसील गिडा जिला बाडमेर,
15. मंगलदान पुत्र विरददान जाति चारण निवासी खारापार तहसील गिडा जिला बाडमेर,
16. मूलदान पुत्र वगतदान जाति चारण निवासी खारापार तहसील गिडा
17. सुमेरदान पुत्र भूरदान जाति चारण निवासी खारापार तहसील गिडा जिला बाडमेर,
18. सरपंच ग्राम पचांयत सांभरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
19. राजस्थान सरकार भू. धारक जरिये तहसीलदार पचपदरा।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

01. श्री अचलाराम थोरी , प्रार्थी अधिवक्ता
02. विप्रार्थी संख्या 1 से 19 एक पक्षीय

'आदेश दिनांक :– 31.03.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा सांभरा पटवार क्षेत्र सांभरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह में खसरा संख्या 105 रकबा 2.6224 हैक्टयर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 19 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 19 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मौजा मुमकिन मौजा सांभरा पटवार क्षेत्र सांभरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह में खसरा संख्या 105 रकबा 2.6224 हैक्टयर अवस्थित मौजा सांभरा पटवार क्षेत्र सांभरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह में खसरा संख्या 105 रकबा 2.6224 हैक्टयर अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 19 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 19 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मौजा सांभरा पटवार क्षेत्र सांभरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह में खसरा संख्या 105 रकबा 2.6224 हैक्टयर अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।
हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया ।

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जिसमे पाया कि मौजा मौजा सांभरा पटवार क्षेत्र सांभरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह में खसरा संख्या 105 रकबा 2.6224 हैक्टयर अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079--2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है ।

विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 21/12/2022 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांभरा पटवार क्षेत्र सांभरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह में खसरा संख्या 105 रकबा 2.6224 हैक्टयर अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 18 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 31.03. 2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31.3.2023

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा